भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5195
उत्तर देने की तारीख 02 अप्रैल, 2025

तमिलनाडु में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन

5195. श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री नवसकनी के.:
श्री मलैयारासन डी.:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो एनबीएम के आरंभ से इसके अंतर्गत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल की कुल लंबाई कितनी है;
(ग) मिशन के अंतर्गत ब्रॉडबैंड सेवाओं के माध्यम से जोड़े गए गांवों और ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है तथा तमिलनाडु राज्य में विशेषकर कल्लाकुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कार्यान्वयन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा;
(घ) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत ब्रॉडबैंड संपर्क प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;
(ङ) पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों सहित कठिन भू-भागों में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(च) एनबीएम के अंतर्गत जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच का ब्यौरा क्या है;
(छ) इस मिशन के अंतर्गत ब्रॉडबैंड के विस्तार से तमिलनाडु के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को समान रूप से लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ज) क्या ऐसे क्षेत्रों में संपर्क में सुधार के लिए कोई विशेष योजनाएं लागू की गई हैं;
(झ) क्या सरकार ने तमिलनाडु राज्य में एनबीएम के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है और इस संबंध में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और
(ञ) जनजातीय क्षेत्रों में 100 प्रतिशत संपर्क प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ञ) सरकार ने तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) को कार्यान्वित करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार लाने और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए हैं:

1. 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया, जिससे ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने और दूरसंचार टावर लगाने के लिए मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) अनुमति प्राप्त करना सरल हो गया। दूरसंचार अधिनियम, 2023 और दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम 2024 ने आरओडब्ल्यू प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया है।
2. इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से वित्तपोषण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों (जनजातीय क्षेत्रों सहित) में स्थिर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहा है और डिजिटल विभाजन को पाट रहा है। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:
   क. संशोधित भारतनेट परियोजना ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को (मांग पर) ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराती है।

   ख. दूरदराज के क्षेत्रों यथा उत्तर-पूर्व, द्वीप समूह, एलडब्ल्यूई (वामपंथी उग्रवाद) प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों तथा सीमावर्ती गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं (4जी सहित) के लिए विभिन्न स्कीमें।

   ग. तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए चेन्नई तथा अंडमान एवं निकोबार और कोच्चि एवं लक्षद्वीप के बीच समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई।

तमिलनाडु में राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत, सौंपे गए कार्य की लागत 1544.44 करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) है, जिसमें से 28 फरवरी 2025 तक 1093.74 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। 24 फरवरी 2025 तक, तमिलनाडु में 12,524 ग्राम पंचायतों में से 10,298 ग्राम पंचायतों को भारतनेट परियोजना के तहत सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। तमिलनाडु में भारतनेट परियोजना के तहत (31 दिसंबर 2024 तक) 53,511 रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाई गई है। फरवरी 2025 तक, भारतनेट के माध्यम से 12,53,997 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

******